

# Doon Valley Officers Cooperative Housing Society Limited

(Regd. Under Co-operative Societies Act II of 1912, Reg. No. 723 dated 07-06-1966)

Vasant Vihar, Chakrata Road, Dehradun

E-mail- dvochsl2@gmail.com

7668441801

Ref. No:-1706 /DVOCHSL/AGM/23

Date:13-10-2022

## दून वैली ऑफिसर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, की वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक दिनांक 30 सितम्बर 2023 की कार्यवाही का विवरण

दून वैली ऑफिसर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, की वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक दिनांक 30 सितम्बर 2023 को प्रातः 1100 बजे समिति के सामुदायिक केन्द्र में आहूत की गई। बैठक में कुल 42 सदस्यों में से 29 सदस्य उपस्थित रहे। उपस्थित सदस्यों की सूची परिशिष्ट-1 में दर्शित है। गणपूर्ति पूर्ण होने पर बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। सभापति महोदय द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया। सर्वप्रथम विगत एक वर्ष में दिवंगत समिति के स्वर्गीय सदस्यों को श्रद्धांजलि देने व उनकी आत्मा की शान्ति के लिए समस्त सदस्यों द्वारा खड़े होकर दो मिनट का मौन रखा गया। तदोपरान्त विषय सूची पर निम्नानुसार चर्चा हुई :-

**प्रस्ताव संख्या -1 : दिनांक 29.09.2022 को सम्पन्न वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि एवं लिए गए निर्णयों के कार्यपालन की स्थिति :** सभापति द्वारा समिति के सचिव को दिनांक 29.09.2022 को आहूत की गयी वार्षिक सामान्य सभा की बैठक के कार्यवाही विवरण को पढ़ने का अनुरोध किया गया। सचिव द्वारा कार्यवाही विवरण पढ़े जाने एवं कार्यपालन का विवरण देने के पश्चात् कार्यवाही विवरण की पुष्टि का प्रस्ताव ले. कर्नल एल. के. पुरोहित (से.नि.) द्वारा रखा गया जिस पर सर्वसम्मति से दिनांक 29.09.2022 की बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गयी।

**प्रस्ताव संख्या -2 : दिनांक 20 अगस्त 2023 को सम्पन्न सामान्य निकाय की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि एवं लिए गये निर्णयों के कार्यपालन की स्थिति :** सभापति द्वारा समिति के सचिव को दिनांक 20.08.2023 को आहूत की गयी वार्षिक सामान्य सभा की बैठक के कार्यवाही विवरण को पढ़ने का अनुरोध किया गया। सचिव द्वारा कार्यवाही विवरण पढ़े जाने एवं कार्यपालन का विवरण देने के पश्चात् कार्यवाही विवरण की पुष्टि का प्रस्ताव श्री अजय कुमार लाल द्वारा रखा गया, जिस पर सर्वसम्मति से दिनांक 20.08.2023 को सम्पन्न सामान्य निकाय की बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गयी।

**प्रस्ताव संख्या -3 : सभापति द्वारा पिछले वर्ष में समिति द्वारा कराये गये मुख्य कार्य-कलापों का संक्षिप्त विवरण :** सभापति द्वारा अपने संबोधन में विगत वर्ष में समिति के आय-व्यय के ब्यौरे तथा समिति द्वारा कराये मुख्य कार्यों एवं चालू कार्यों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार दिया गया :-

(अ) 2022-23 की आय एवं व्यय : वर्ष के दौरान कुल आय **रु0 1,01,79,039.46/-** थी एवं कुल व्यय **रु0 88,86,538.44** रहा। इस प्रकार वर्ष के दौरान समिति को कुल **रु0 12,92,501.02** का लाभ हुआ।

(ब) आय के ब्यौरे :

(i) सोसाईटी मेण्टेनेन्स चार्जेस (SMC):- दिनांक 31.03.2023 की स्थिति में वसूली योग्य SMC की राशि **रु0 17,95,765/-** है। यह राशि 246 सदस्यों से वसूल की जानी शेष थी। अब तक इनमें से 139 सदस्यों द्वारा लम्बित राशि का भुगतान किया गया है। अब तक 445 सदस्यों द्वारा वर्ष 2023-24 के SMC का भुगतान किया जा चुका है।

(ii) सोसाईटी डेवलपमेंट चार्जेस (SDC) :- 01.04.2022 से 31.03.2023 तक कुल 10 सौदों से कुल **रु0 1,50,61,457/-** SDC की राशि प्राप्त हुई। 01.04.2023 से 28.09.2023 तक कुल 06 सौदों से कुल **रु0 1,31,25,785/-** SDC की राशि प्राप्त हुई है।

(iii) दुकानों का किराया :- 01.04.2022 से 31.03.2023 तक किराये की कुल वसूली **रु0 4,53,808/-** हुई थी। 01.04.2023 से 31.08.2023 तक किराये की कुल वसूली **रु0 1,60,033/-** हुई है।

(iv) सावधि जमा (फिक्सड डिपोजिट) (FD) तथा बचत खाता (सेविंग खाता) अकाउण्ट से प्राप्त ब्याज राशि : - 01.04.2022 से 31.03.2023 तक **रु0 58,54,419.36/-** ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। यह राशि विगत वित्तीय वर्ष में प्राप्त ब्याज से **रु0 14.21** लाख अधिक है।

दिनांक 31.03.2023 की स्थिति में **रु0 10,64,82,719/-** (Face value) की सावधि जमा (Fixed Deposit) राशि सोसायटी के खाते में थी, जिसका संभावित ब्याज के साथ मूल्य **11,28,75,808/-** था। दिनांक 30.09.2023 की स्थिति में **रु0 11,33,26,796/-** (Face value) की Fixed Deposit राशि है।

(स) विकास कार्य :-

(i) वर्ष 2022-23 के दौरान निम्न स्वीकृत विकास कार्य कराये गये :-

क्रमांक	कार्य	व्यय राशि	कार्य प्रगति
1.	पार्क नं0 1 का फैंसिंग कार्य	रु0 1,89,336/-	कार्य पूर्ण
2.	पार्क नं0 5 का फैंसिंग कार्य	रु0 6,75,519/-	कार्य पूर्ण
3.	Rain water harvesting 3 कूप का निर्माण	रु0 75,436/-	कार्य पूर्ण
4.	वर्षा जल के निकासी हेतु प्लॉट नं0 57/2 एवं 279/2 के सामने नाली का निर्माण	रु0 36,060/-	कार्य पूर्ण
5.	विवेक गुप्ता चौक से काली मन्दिर के बीच सेमल पेड़ के पास सड़क के हिस्से का इन्टरलौकिंग टाइल्स के साथ पुर्ननिर्माण	रु0 1,75,046/-	कार्य पूर्ण

6.	पार्क क्रमांक 10 में पैदल पथ निर्माण	रु0 4,26,644 /- (वर्ष 2022-23 में रु0 1,50,000 /- खर्च)	आंशिक कार्य पूर्ण
7.	पार्क क्रमांक 2 में फेंसिंग / दिवार की पूर्ण मरम्मत।	रु0 2,02,756 /-	कार्य पूर्ण
8.	बिजली दफ्तर से काली मन्दिर रोड की पूर्वी ओर मुख्य सड़क पर पैदल पथ का निर्माण।	रु0 6,35,189 /-	कार्य पूर्ण

(ii) वर्ष 2023-24 में विकास कार्य :-

क्रमांक	कार्य	व्यय राशि/स्वीकृत राशि	कार्य प्रगति
1.	CCTV Control Room का निर्माण	रु0 29,562 /-	कार्य पूर्ण
2.	32 सीसीटीवी कैमरों की आपूर्ति, प्रावधान एवं स्थापना का कार्य,	रु0 12,41,957 /-	कार्य पूर्ण
3.	पार्क क्रमांक 10 में पैदल पथ निर्माण (आंशिक निर्माण)	रु0 4,26,644 /- (वर्ष 2023-24 में रु0 2,76,644 /- खर्च)	कार्य पूर्ण
4.	मेन रोड पर वेस्ट रोड नं0 3 एवं वेस्ट रोड नं0 5 में दिवार तथा लिफ्टिंग बैरियर का निर्माण।	रु0 1,19,233 /-	कार्य पूर्ण
5.	लिफ्टिंग बैरियर का निर्माण (वेस्ट रोड-5, लवली मार्केट-हरबंश वाला रोड की ओर)	रु0 12,420 /-	कार्य पूर्ण
6.	वेस्ट रोड नं0 3 पर 2 PVC स्पीड ब्रेकर का निर्माण	रु0 33,445 /-	कार्य पूर्ण
7.	पार्क नं0 12 में चारदीवारी के ऊपर फेंसिंग का कार्य	रु0 3,93,404 /-	कार्य पूर्ण
8.	सामुदायिक केन्द्र के बाथरूम का नवीकरण	रु0 1,61,864 /-	कार्य प्रगति में है
9.	सामुदायिक केन्द्र में पुताई व सिविल कार्यों की मरम्मत का कार्य	रु0 2,05,340 /-	कार्य प्रगति में है
10.	समिति कार्यालय एवं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स(पीछे की ओर) में चारदीवारी एवं फेंसिंग का कार्य	रु0 1,94,185 /-	कार्य प्रारंभ किया जा रहा है।

11.	सामुदायिक केन्द्र के स्टेज की मरम्मत का कार्य	रु0 28,000 / -	कार्य प्रारंभ किया जा रहा है।
12.	वेस्ट रोड नं0 3 एवं ईस्ट रोड नं0 5 पर सडक के किनारे ईंटो के खड़ंजे लगाने का कार्य	रु0 3,03,600 / -	कार्यादेश जारी किया गया है।

(द) न्यायालयीन प्रकरण : दिनांक 29.09.2023 की स्थिति में DVOCHSL से संबंधित कुल 15 प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में चल रहें हैं। इनमें से माननीय उच्चतम न्यायालय में 1, माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल में 5 तथा 9 प्रकरण जिला स्तर में विभिन्न न्यायालय में चल रहें हैं।

सभापति ने प्रबन्धन समिति के समस्त सदस्यों, समस्त प्रतिनिधियों, सचिव DVOCHSL, समस्त कार्यलयीन एवं क्षेत्रीय कर्मियों को उनके सक्रिय सहयोग के लिए धन्यवाद दिया।

**प्रस्ताव संख्या -4 : वर्ष 2022-23 की बैलेंस शीट पर आडिट रिपोर्ट के साथ चर्चा :**

समस्त सदस्यों को ऑडिट रिपोर्ट एवं बैलेंस शीट पहले ही भेजी गई है। सभापति द्वारा वर्ष 2022-23 की बैलेंस शीट के मुख्य बिन्दुओं पर प्रकाश डाला गया एवं ऑडिट की आपत्तियों पर पैरावार वर्तमान स्थिति एवं प्रबंधन समिति के उत्तर की जानकारी दी गई। यह बताया गया कि वर्ष 2022-23 में लाभ की स्थिति को देखते हुये सदस्यों को Bye-Laws के प्रावधानों के अनुरूप लाभांश दिया जाना प्रस्तावित है। इस दौरान सदस्यों की तरफ से निम्न सुझाव प्राप्त हुए :-

(i) चार्टर्ड एकाउण्टेंट की रिपोर्ट के संलग्नक-A के बिन्दु 9, 12, 16 एवं 17) पर कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

(ii) समिति के जो सदस्य लम्बी अवधि से SMC का भुगतान नहीं कर रहे हैं उनकी वसूली हेतु Bye-Laws के प्रावधान अनुसार आवश्यक कार्यवाही के लिए सूचना सहायक-निबन्धक (Assistant Registrar) को ऑपरेटिव सोसायटी, राजस्व विभाग एवं जिलाधिकारी को पत्र द्वारा प्रेषित की जानी चाहिये। जिन 5 सदस्यों पर सबसे अधिक SMC की राशि बकाया राशि है, उनके ऊपर Bye-Laws के अनुसार प्राथमिकता से कार्यवाही की जाये।

(iii) सदस्यों के लाभांश (Dividend) का लेखा जोखा रजिस्टर में अंकित कर सामान्य निकाय की बैठक में बताया जाये।

(iv) समिति में लेखाओं के आन्तरिक अंकेक्षण (Internal Audit) की व्यवस्था की जानी चाहिये।

सदस्यों के उपरोक्त सुझावों पर विस्तृत चर्चा होने के उपरान्त विगत वर्ष 2022-23 की बैलेंस शीट एवं ऑडिट रिपोर्ट के अनुमोदन का प्रस्ताव श्री अजय कुमार लाल द्वारा रखा गया, जिस का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया।

प्रस्ताव क्रमांक-5 : वित्तीय वर्ष 2022-23 के शुद्ध लाभ का निस्तारण : सभापति द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के शुद्ध लाभ रू0 12,92,501.02 का, सोसायटी के Bye-Laws के अन्तर्गत निम्नानुसार निस्तारण का प्रस्ताव किया गया:-

1. रक्षित निधि (Security Deposit) :- इस मद में रू0 3,52,001=02 संक्रमित करने का प्रस्ताव है।
2. भवन विकास निधि :- इस मद में रू0 8,40,000=00 संक्रमित करने का प्रस्ताव है।
3. सहकारी शिक्षा निधि :- इस मद में कोई राशि संक्रमित किया जाना प्रस्तावित नहीं है।
4. सदस्यों को लाभांश :- सभी सदस्यों को Share Value की 20% की दर से लाभांश (dividend) दिया जाना प्रस्तावित है। इसकी कुल धनराशि रू0 40,500=00 बनती है। प्रति सदस्य को रू0 60/- का लाभांश प्राप्त होगा।
5. घर्मार्थ प्रयोजन निधि :- इसमें 5% अंशदान किए जाने की व्यवस्था अधिनियम की धारा 58 में है। इस में रू0 60,000=00 की राशि संक्रमित की जाना प्रस्तावित है।
6. अशोधय ऋण निधि :- आवश्यकता नहीं होने के कारण इस मद में कोई राशि संक्रमित की जाना प्रस्तावित नहीं है।
7. कर्मचारियों को बोनस निधि :- इस मद में कोई राशि संक्रमित की जाना प्रस्तावित नहीं है।

वर्ष 2022-23 के शुभ लाभ के निस्तारण के उपरोक्तानुसार प्रस्ताव को सभापति द्वारा अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया। सामान्य निकाय द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। सामान्य निकाय द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि लाभांश (dividend) की राशि सदस्यों द्वारा देय SMC के विरुद्ध समायोजित की जायेगी।

प्रस्ताव क्रमांक -6 : प्रबन्ध कमेटी द्वारा तैयार वित्तीय वर्ष 2023-24 के पुनरीक्षित बजट तथा आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रस्तावित बजट पर चर्चा एवं स्वीकृति : सामान्य निकाय के समस्त सदस्यों को बजट प्रस्ताव पूर्व में ही उपलब्ध कराये गये थे। सभापति द्वारा वर्ष 2023-24 में स्वीकृत/प्रस्तावित कार्य एवं वर्ष 2024-25 में प्रस्तावित कार्यों का विस्तृत विवरण दिया गया। बजट प्रस्तावों में समस्त प्रतिनिधियों (delegates) द्वारा दिए गये प्रस्तावों को शामिल किया गया है। आगामी वर्षों के बजट में समिति के नये भवन का निर्माण प्रस्तावित है। चर्चा के दौरान सदस्यों से निम्न सुझाव प्राप्त हुए :-

(अ)वसन्त विहार क्लब तथा शिव मन्दिर के विकास हेतु अलग निधि बजट में होनी चाहिये। समिति प्रबन्धन को क्लब एवं मन्दिर विकास को समिति प्रबन्धन में शामिल करना चाहिये। इस सम्बन्ध में विचार किया जाना चाहिये।

(ब)छोटे-छोटे कार्यों के लिए प्रति वार्ड कुछ राशि निश्चित की जाये ।

(स)वसन्त विहार समिति क्षेत्र में अधिक से अधिक Solar Lights का उपयोग किया जाये ।

(द)समिति कार्यालय के प्रस्तावित नये भवन को eco friendly बनाया जाये जिसमें वर्षा जल संचयन व्यवस्था एवं विद्युत हेतु सौर ऊर्जा (solar energy) के उपयोग की व्यवस्था की जाये ।

(य)सभी मुख्य अन्दरूनी सड़कों पर भी पैदल पथ का निर्माण किया जाये ।

(र) वसन्त विहार क्लब में एक भण्डारण कक्ष (store room) का निर्माण आवश्यक है ।

चर्चा उपरान्त वित्तीय वर्ष 2023-24 के पुनरीक्षित बजट एवं वर्ष 2024-25 के बजट प्रस्तावों के अनुमोदन का प्रस्ताव कर्नल एल0 के0 पुरोहित (से0नि0) द्वारा रखा गया जिसका उपस्थित समस्त सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन करने पर प्रस्ताव पारित हुआ ।

प्रस्ताव संख्या-7 : समिति क्षेत्र में नई सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन की प्रगति : सितम्बर 2022 की वार्षिक सामान्य सभा द्वारा स्वीकृत सोसायटी की नई सुरक्षा योजना को 05 जुलाई 2023 से प्रारंभ किया गया है । सुरक्षा योजना के अर्न्तगत निम्न कार्य किए गये हैं :-

(अ) सी.सी.टी.वी. व्यवस्था की स्थापना :-

(i) FRI से काली मंदिर मुख्य मार्ग, कांवली रोड, लवली मार्केट-हरबंशवाला चौक-काली मंदिर-कड़वापानी रोड पर कुल 32 CCTV कैमरे स्थापित किये गये हैं ।

(ii) सोसायटी कार्यालय में CCTV कैमरों के पर्यवेक्षण के लिए कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जो 24 घंटे कार्य कर रहा है ।

(ब) एक सुपरवाइजर तथा 20 सुरक्षा गार्ड प्रदाय करने के लिए टेण्डर के माध्यम से त्रिशुल सिक्वोरिटी सर्विसेस से अनुबंध किया गया है । रात को 1 सुपरवाइजर तथा 15 गार्ड कार्य कर रहे हैं । दिन में एक असिस्टेंट सुपरवाइजर तथा 4 गार्ड कार्यरत है । सभी सुरक्षा गार्ड के मोबाईल नम्बर सभी सदस्यों को WhatsApp पर उपलब्ध कराये गये हैं ।

(स)रात्रि में 10:30 से 5:30 बजे तक FRI तिराहे एवं काली मन्दिर की ओर से समस्त भारी वाहन, बसों आदि की आवाजाही पूर्णतः रोक दी गई है । दिनांक 01.10.2023 से रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक भारी वाहनों की आवाजाही रोकी जायेगी ।

(द) West road 3 में स्थापित बेरियर, West road 5 में स्थापित 2 बेरियर, East road 5 में स्थापित बेरियर, गेट क्रमांक 3, 5, 6 एवं 7 को रात्रि 10:30 से 5:30 बजे तक बन्द रखा जा रहा है । इस दौरान वाहनों की जाँच कर Entry दी जा रही है ।

(य) 4 गार्डों द्वारा लवली मार्केट-हरबंश वाला - कालीमन्दिर - करवापानी रोड, कांवली रोड एवं FRI - काली मन्दिर मुख्य मार्ग पर रात्रि में निरन्तर गश्त की जा रही है ।

(र) सदस्यों के वाहनों के लिए वाहन पास (Sticker) तैयार किए गये हैं। अब तक 32 सदस्यों द्वारा वाहन पास के लिए आवेदन दिया गया है, जिनके वाहन पास तैयार किए गये हैं। सदस्यों को वाहन पास लेने के लिए पुनः सूचना दी गई है।  
(ल) समिति के वर्तमान लोहे के gates के स्थान पर लोहे के मजबूत एवं अच्छे गेट लगाये जायें।

अगले चरण में निम्न कार्य प्रस्तावित है : -

- (i) CCTV कैमरा व्यवस्था का विस्तार एवं सृष्टीकरण प्रस्तावित है।
- (ii) पार्क नं0 14 के दोनो ओर East Road 6 & 7 पर सुरक्षा गेट का निर्माण एवं स्थापना।

नई सुरक्षा योजना के लागू होने से समिति क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति में निश्चित सुधार हुआ है लेकिन व्यवस्था में और सुधार की गुंजाईश है।

सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा के दौरान कुछ सदस्यों द्वारा सुझाव दिया गया कि रात्रि में सुरक्षा व्यवस्था के पर्यवेक्षण हेतु इच्छुक सदस्यों (Volunteers) की क्रमवार ड्यूटी लगाई जाये। Delegates में 2-3 सदस्यों द्वारा इस कार्य के लिए अपनी सहमति दी गई। सभापति द्वारा बताया गया कि इस प्रस्ताव के संबंध में सभी समिति सदस्यों को लेख कर, Volunteers की पहचान कर प्रस्तावित सुझाव को लागू करने पर विचार किया जायेगा।

सभापति द्वारा बताया गया कि गत वर्ष की वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक में सुरक्षा योजना की स्वीकृति एक वर्ष के लिए दी गई थी। इस स्वीकृति के तहत 1 वर्ष तक सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रस्तावित SMC में कुल वृद्धि रू0 600/- की 50% राशि का व्यय भार समिति द्वारा वहन किये जाने का निर्णय लिया गया था। सभापति द्वारा बताया गया कि सुरक्षा योजना का 1 वर्ष दिनांक 4 जुलाई 2024 को पूर्ण होगा अतः योजना को जारी रखने के लिए जुलाई 24 से मार्च 25 की अवधि के लिए सदस्यों की SMC की राशि में वृद्धि की जानी होगी। सामान्य सभा द्वारा विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन हेतु सदस्यों के SMC में प्रस्तावित वृद्धि की राशि के वित्तीय भार का वहन समिति द्वारा अपनी कुल आय से किया जाये।

प्रस्ताव संख्या-8 : अन्य विषय सभापति की अनुमति से।

(i) भूखण्ड संख्या 117/1 एवं 182/1 की लीज के आवंटन के लिए लीज राशि के निर्धारण हेतु नीलाम में भूखण्डों की अपसेट प्राइस की गणना हेतु GBM की बैठक दिनांक 20.08.2023 में निर्धारित दर पर पुनर्विचार :

DVOCHSL के सामान्य निकाय की बैठक दिनांक 20.08.2023 में विषयांकित भूखण्डों की लीज के आबंटन हेतु प्रस्तावित नीलाम के लिए, भूखण्डों के अपसेट प्राइस (Upset Price) की गणना हेतु रू 37,000/- प्रति वर्ग गज की दर बहुमत के आधार पर अनुमोदित की गई थी। इस विषय पर डॉ० एस.सी. देवरानी, श्री राजीव धर जयाल, कर्नल मुकुल सिंघल, श्री लोकेश भट्ट, श्री सी.एम.एस. बिष्ट, श्री एम.एस. गर्बयाल आदि सदस्यों द्वारा पूर्व में सामान्य सभा द्वारा अनुमोदित, भूखण्डों की अपसेट प्राइस गणना हेतु निर्धारित दर में वृद्धि करने बाबत मत व्यक्त किया गया। सभापति द्वारा सदस्यों की भावना एवं मांग अनुरूप इस विषय पर पुनर्विचार कर निर्णय लेने हेतु चर्चा की अनुमति दी गई।

सभापति द्वारा DVOCHSL क्षेत्र में नवीनतम लीज हस्तांतरण के प्रकरण (प्लॉट क्रमांक-213/2) के लिए रजिस्ट्री की दर के आधार पर दर निर्धारण का सुझाव दिया गया। विषयांकित भूखण्ड की तुलना में नीलाम हेतु प्रस्तावित आवासीय भूखण्डों का साईज बहुत अधिक होने के परिप्रेक्ष्य में सदस्यों द्वारा इनकी दरों में अनुपातिक कमी करने का सुझाव दिया गया।

गहन चर्चा उपरांत अपसेट प्राइस की गणना हेतु रू 45,000/- प्रति वर्ग गज की दर पर अधिकांश सदस्यों द्वारा सहमति दी गई। अतः सामान्य निकाय ने बहुमत द्वारा भूखण्डों की Upset Price की गणना हेतु रू 45,000/- प्रति वर्ग गज की पुनरीक्षित दर का अनुमोदन किया।

(ii) वसन्त विहार क्लब को DVOCHSL से संबद्ध करने बाबत :

सभापति द्वारा इस विषय को उठाते हुए निम्न उल्लेख किया गया:-

(अ) क्लब किसी भी सोसायटी में स्वस्थ मनोरंजन एवं सदस्यों के मध्य सौहार्द बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था है। वसन्त विहार क्लब का गठन एवं पंजीयन वर्ष 1992 में किया गया था जब सोसायटी में कोई निर्वाचित प्रबन्धन समिति एवं सामान्य निकाय गठित नहीं थी, अतः तत्समय इसे सोसायटी के सामान्य निकाय एवं प्रबन्ध समिति से संबद्ध नहीं किया गया था। विगत 31 वर्षों में वसन्त विहार क्लब द्वारा अपने सीमित संसाधनों से सोसायटी के सदस्यों को स्वस्थ मनोरंजन प्रदाय करने एवं सामाजिक सौहार्द बढ़ाने में अपनी भूमिका कुशलता से निभाई है।

(ब) सीमित संसाधनों के चलते क्लब में सीमित सुविधायें हैं जिसके कारण क्लब के सदस्यों की संख्या कम है। क्लब में सुविधायें बढ़ाने तथा सदस्यों की संख्या बढ़ाने में DVOCHSL की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, अतः क्लब को सोसायटी प्रबन्धन से संबद्ध करने पर विचार आवश्यक है।

(स) क्लब के अध्यक्ष द्वारा क्लब के Bye-Laws में क्लब को सोसायटी का अंग बनाने से संबंधित संशोधन प्रस्ताव विचारार्थ प्राप्त होने पर, प्रबन्ध समिति द्वारा एक उपसमिति



गठित की गई थी, जिसकी अनुशंसाओं पर विचार कर प्रबन्ध समिति द्वारा अपनी बैठक दिनांक 27.05.2023 में निम्न निर्णय लिये गये :-

- (i) क्लब के DVOCHSL में integration (विलय) के प्रस्ताव पर सहमति दी गई।
  - (ii) Integration के बाद समिति के समस्त सदस्य क्लब के सदस्य होंगे।
  - (iii) क्लब के Society का अंग बनने के पश्चात Executive Committee के कार्यकाल अथवा एक वर्ष, जो भी अधिक हो, के उपरांत क्लब की नई Executive Committee का चुनाव द्वारा गठन होगा। (तब तक वर्तमान कमेटी कार्य करेगी)
  - (iv) क्लब की ओर से Integration (विलय) का औपचारिक प्रस्ताव आने पर उसे GBM में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
- (द) अध्यक्ष वसन्त विहार क्लब को निर्णय से अवगत कराया गया है। तदानुसार क्लब प्रबंधन द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जानी है।

माननीय सदस्य श्री टी.आर. अरोड़ा जो क्लब के वर्तमान अध्यक्ष भी हैं, ने बताया कि क्लब सोसायटी का ही अंग है अतः क्लब के विकास हेतु क्लब के Bye-Laws में जो भी संशोधन आवश्यक हैं उन्हें क्लब प्रबंधन द्वारा अपनी आगामी सामान्य सभा में प्रस्तुत कर निर्णय लिया जायेगा।

सचिव द्वारा समस्त सदस्यों को बैठक में सक्रिय भाग लेने के लिए धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।

  
सचिव

  
सभापति

**दिनांक: 30 सितम्बर 2023 को आहुत सामान्य निकाय की बैठक में  
उपस्थित सदस्यों की सूची।**

S.No.	Name of Delegate	Ward No.	Plot /House No.	Mob. No.
1.	Shri Dharendra Sharma	08	257/2	9425240116
2.	Shri Ajay Kumar Lal	07	260/2	9418020350
3.	Dr. Suresh Chandra Deorani	01	42/1	9012960606
4.	Shri. Rajiv Dhar Jayal	04	261/1	9837827055
5.	Lt Col L. K. Purohit (Retd)	02	25/2	9458911393
6.	Sqn Ldr A. S. Bains (Retd)	06	50/2	9760090710
7.	Shri M. S. Garbayaal	07	270-C/2	9412976616
8.	Shri Sushil Nautiyal	04	227/1	9410707245
9.	Shri. Pradeep Kumar Malik	04	219/1	9412998113
10.	Shri C.M.S. Bisht	03	292/1	9760211044
11.	Lt. Col. R. K. Purohit (Retd)	01	17/1	9810145997
12.	Shri K. C. Dhyani	01	30/1	9720901134
13.	GP Capt. M. M. Upadyaya	03	280/1	9958825570
14.	Capt. M. G. Singh (Retd)	03	141/1	9897701691
15.	Shri Vicky Rawat	01	285/1	9412056572
16.	Shri Vivek Nautiyal	02	67/1	9897867196
17.	Col. Mukul Singhal (Retd)	03	169/1	8076501807
18.	Shri Surendra Mohan Barthwal	01	27/1	9411364415
19.	Dr. M. N. Jha	05	11/2	9412055048
20.	Shri P. K. Sharma	02	170/2	9412437126
21.	Shri A. K. Girdhar	05	14/2	9760048950
22.	Shri A. K. Alipooria	08	235/2	9418008421
23.	Shri J. K. S. Rawat	07	299/2	9456513418
24.	Shri Sanjay Jain	08	310/2	9410396030
25.	Shri R. P. Guatam	06	93/2	9997301950
26.	Shri Lokesh Bhatt	05	30/2	9412054800
27.	Shri T. R. Arora	05	137/2	9719149666
28.	Maj. Gen. Y. S. Negi (Retd)	05	279/2	8755425590
29.	Shri D. K. Agrawal	04	213/1	9837028802

Secretary